ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती बबिता देवी	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री कमल राज	01/04/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती सीमा देवी	01/04/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक शेषों में भारी अन्तर	4.2	19.50
2	हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करना	4.3	0.51
3	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	31.07
4	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.28
5	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.1	9.22
6	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	8.2	0.31
7	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.1	9.22
8	फॉर्म 'X' या 'Y' प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को भुगतान	9.2	1.00
9	निर्माण सामग्री से वॉइडस (Voids) की कटौती न करना	9.3	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/15 से 03/18:-

क्रम	पैरा संख्या	नवीनतम स्तिथि	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹6000 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ 38 पर करने के उपरान्त
2	4	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
3	5	अनिर्णीत	
4	6(क)	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	6(ख)	अनिर्णीत	
6	6(ग)	अनिर्णीत	

7	7	अनिर्णीत	
8	8	अनिर्णीत	
9	9	अनिर्णीत	
10	10	अनिर्णीत	
11	11	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही की संधारण उपरांत।
12	12	अनिर्णीत	
13	13	अनिर्णीत	
14	14	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
15	15	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
16	16	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
17	17	निर्णित	दिनांक 31/03/2024 को भौतिक सत्यापना उपरांत।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः-

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22/11/2024 से 27/11/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2023-24	03/24	01/24

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण /

गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 127 दिनांक 27/11/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत बडोल द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	5198763.41	3808503	143799	**9151065.41**	4519923	**4631142.41**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**4811409.29**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹4631142.41-₹4811409.29) परिशिष्ट-2**						**180266.88**

4.2 **₹19.50 लाख के अन्तर की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹1949688.16** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता:-

क्रम	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/General)/ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	270295.22
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	16307.8
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	778374.5
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	121724.43
5	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	125774.61
6	इंदिरा आवास योजना (IAY)/ राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	87650.6
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	148900
8	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	76273
9	13वां वित्त आयोग (13th FC)	163884
10	मनरेगा (रोकड़ बही ऑनलाइन होने से पूर्व अनुपयोगित राशि)	34
11	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4th SFC)	14750
12	पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	33306
13	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (BASP)	93654
14	आपदा राहत कोष (CRF)	18760
	कुल	**1949688.16**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 ₹0.51 लाख हस्तगत राषि को बैंक में जमा न करवानाः-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को पंचायत निधि खाते में

जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट-1 का अवलोकन करने पर पाया गया कि सामान्य निधि/स्वः स्त्रोत रोकड बही में दिनांक 31.03.2024 को **₹51174** का हस्तगत रोकड दर्शाया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को शीघ्र बैंक में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बंद योजनाओं में ₹6.95 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹695093.61 (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजनाएं आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा निम्न राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं:-

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	201964
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4th SFC)	14750
3	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (BASP)	93654
4	आपदा राहत कोष (CRF)	18760
5	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	125774.61
6	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	76273
7	13वां वित्त आयोग (13th FC)	163884
8	मनरेगा (रोकड़ बही ऑनलाइन होने से पूर्व अनुपयोगित राशि)	34
	कुल	**695093.61**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए

व उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय-व्यय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम (4) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये बैंक खाते का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचित को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत में दिनाँक 31/03/2024 को **₹1524109.5** की राशि शेष थी परन्तु सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹31.07 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2024 को **₹3107032.91** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम

2002 के नियम 9 के अनुसार फंडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	120026.3
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1978456.4
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	201964
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4th SFC)	14750
5	पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	33306
6	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (BASP)	93654
7	आपदा राहत कोष (CRF)	18760
8	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	125774.61
9	इंदिरा आवास योजना (IAY)	76774
10	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	10876.6
11	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	35650
12	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	7950
13	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	76273
14	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	148900
15	13वां वित्त आयोग (13th FC)	163884
16	मनरेगा (रोकड़ बही ऑनलाइन होने से पूर्व अनुपयोगित राशि)	34
	कुल	**3107032.91**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹2.86 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹286175** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	286175

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹7.98 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹798018** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	25719.8
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	772298.2
	कुल	**798018**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.28 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट-3** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹27500** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 एक ही क्रमांक की 5 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 5 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹9.22 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-4** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹921900** के व्यय वाउचरों पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.2 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.31 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में वर्णित विवरण अनुसार **₹ 31309** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/18 26-01-24	रि० कक्ष ग्राम पंचायत बडोल	102-103 & 105/?	ठाकुर स्टील शटरिंग सर्विस	सैनेटरी फिटिंग, पाइप फिटिंग, आदि	15029
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/20 26-01-24	नि० सामुदायिक शौचालय जेडाना	117/?	ठाकुर स्टील शटरिंग सर्विस	सैनेटरी फिटिंग, पाइप फिटिंग, आदि	5230

3	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/23 30-01-24	नि० सामान्य सेवा केंद्र बडोल		पुंडीर टिम्बर हाउस	लकड़ी के दरवाज़े, खिड़की, आदि	11050
			कुल				**31309**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.3 ₹0.31 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक /स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक /सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दर्ज विवरणानुसार **₹ 31309** के स्टॉक/स्टोर की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

क्रम	**योजना**	**वाउचर संख्या/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**बिल राशि (₹)**
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/18 26-01-24	रि० कक्ष ग्राम पंचायत बडोल	102-103 & 105/?	ठाकुर स्टील शटरिंग सर्विस	सेनेटरी फिटिंग, पाइप फिटिंग, आदि	15029
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/20 26-01-24	नि० सामुदायिक शौचालय जेडाना	117/?	ठाकुर स्टील शटरिंग सर्विस	सेनेटरी फिटिंग, पाइप फिटिंग, आदि	5230
3	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/23 30-01-24	नि० सामान्य सेवा केंद्र बडोल		पुंडीर टिम्बर हाउस	लकड़ी के दरवाज़े, खिड़की, आदि	11050
			कुल				**31309**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा विवरण में दर्शाई प्रत्येक सामग्री को सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके प्रधान द्वारा सत्यापित करवाया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 ₹9.22 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-10** पर मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹921900** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 तथा हि०प्र० पंचायती राज विभाग सामान्य नियम 1997 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 फॉर्म 'X' या 'Y' प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को ₹1.00 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक

पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरण अनुसार **₹99850** का अनियमित भुगतान किया गया। इस से यह प्रतीत होता है कि या तो निर्माण सामग्री की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई थी या भुगतान प्राप्त मात्रा से अधिक किया गया था।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशि (₹)	टिपण्णी
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/18 26-01-24	रि० कक्ष ग्राम पंचायत बडोल	35/	मानटा गुड्स कैरियर	रेत- 5 m³ या 8 मीट्रिक टन	9450	फॉर्म 'X' केवल 4 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/19 26-01-24	नि० जल निकासी नाली पंजाह	33/	मानटा गुड्स कैरियर	बजरी- 7 m³ या 10.22 मीट्रिक टन	13230	फॉर्म 'X' केवल 4 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/20 26-01-24	नि० सामुदायिक शौचालय जेडाना	40/	मानटा गुड्स कैरियर	रेत- 6 m³ या 9.6 मीट्रिक टन	10710	फॉर्म 'X' केवल 4 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
						बजरी- 3 m³ या 4.38 मीट्रिक टन	5670	फॉर्म 'X' केवल 4 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
4	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/21 26-01-24	नि० गंदे पानी की निकासी नाली कन्डो	42/	मानटा गुड्स कैरियर	बजरी- 11 m³ या 16.06 मीट्रिक टन	20790	फॉर्म 'X' केवल 7 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/23 30-01-24	नि० सामान्य सेवा केंद्र बडोल		ठाकुर स्टील शटरिंग सर्विस	ईंट- 4000	40000	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
			कुल				**99850**	

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.04 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है।परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर निम्नविवरणानुसार अनुसार इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **₹3969** अधिक भुगतान किया गया है।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशि (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/19 26-01-24	नि० जल निकासी नाली पंजाह	33/	मानटा गुड्स कैरियर	बजरी- 7 m3	13230	10%	1323
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/20 26-01-24	नि० सामुदायिक शौचालय जेडाना	40/	मानटा गुड्स कैरियर	बजरी- 3 m3	5670	10%	567
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/21 26-01-24	नि० गंदे पानी की निकासी नाली कन्डो	42/	मानटा गुड्स कैरियर	बजरी- 11 m3	20790	10%	2079
								कुल	**3969**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः-

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34

3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 126 दिनांक 27/11/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिकाः**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्षः**- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

531-535

16 JAN 2025 क्रा०/प्राप्ति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 38/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

क्रा०/प्राप्ति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट -1

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	5198763.41	3808503	143799	9151065.41	4519923	4631142.41

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	1654998.5	550715	68688	**2274401.5**	750292	**1524109.5**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	131461.1	0	14285	**145746.1**	25719.8	**120026.3**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2403753.6	286175	60826	**2750754.6**	772298.2	**1978456.4**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	201964	0	0	**201964**	0	**201964**
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4th SFC)	14750	0	0	**14750**	0	**14750**
पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	33306	0	0	**33306**	0	**33306**
पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (BASP)	93654	0	0	**93654**	0	**93654**
आपदा राहत कोष (CRF)	18760	0	0	**18760**	0	**18760**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	125774.61	0	0	**125774.61**	0	**125774.61**
इंदिरा आवास योजना (IAY)	76774	0	0	**76774**	0	**76774**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	10876.6	0	0	**10876.6**	0	**10876.6**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	35650	0	0	**35650**	0	**35650**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	7950	0	0	**7950**	0	**7950**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	76273	0	0	**76273**	0	**76273**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	148900	0	0	**148900**	0	**148900**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	163884	0	0	**163884**	0	**163884**
मनरेगा (रोकड़ बही ऑनलाइन होने से पूर्व अनुपयोगित राशी)	34	0	0	**34**	0	**34**
मनरेगा	0	2971613	0	**2971613**	2971613	**0**
कुल	**5198763.41**	**3808503**	**143799**	**9151065.41**	**4519923**	**4631142.41**

दिनांक 01/04/2023 को रोकड़ बही अनुसार प्रारंभिक शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	51174.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	5147589.41
कुल	5198763.41

दिनांक 01/04/2023 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	51174.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	4579968.41
कुल	4631142.41

सचिव
ग्राम पंचायत बडोल
वि0 ख0 संगड़ाह
जिला सिरमौर

परिशिष्ट-2

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510102886	1524109.5		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			35650		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			7950		
		कुल	**1567709.5**	1838004.72	-270295.22
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510110872	120026.3	136334.1	-16307.8
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हरिपुरधार	89090100007352	1978456.4	2756830.9	-778374.5
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	यूको बैंक, हरिपुरधार	1515[illegible]1103238	207964	80239.57	127724.43
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	यूको बैंक, हरिपुरधार	15153211001683	125774.61	0	125774.61
इंदिरा आवास योजना (IAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510102827	76774	0	57650.6
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)			10876.6		
	कुल		**87650.6**		
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	बैंक खाता बंद हो चूका है		148900	0	148900
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		76273	0	76273
13वां वित्त आयोग (13th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		163884	0	163884
मनरेगा (रोकड़ बही ऑनलाइन होने से पूर्व अनुपयोगित राशी)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		34	0	34
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4th SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		14750	0	14750
पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		33306	0	33306
पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (BASP)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		93654	0	93654
आपदा राहत कोष (CRF)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		18760	0	18760
	कुल योग		**4631142.41**	**4811409.29**	**-180266.88**

सचिव
ग्राम पंचायत बडोल
वि० ख० संगडाह

परिशिष्ट -3

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **413**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **25 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	18025	10325	**28350**	850	**27500**

सचिव
ग्राम पंचायत बड़ोल
वि० ख० संगड़ाह
जिला सिरमौर

व्यय की जाँच हेतु चयनित मास में मनरेगा के अंतर्गत व्यय **परिशिष्ट-4**

क्रम	योजना	कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	दिनांक	राशी (₹)
1	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार ओबीसी बस्ती दिगोठ	3265	02-01-2024	33600
			3710	22-01-2024	28620
			3710	22-01-2024	3180
2	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार जी०पी०एस टिम्बा कांडो	3266	05-01-2024	38400
			3267	05-01-2024	15360
3	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार जी०पी०एस मंदोदी	3268	03-01-2024	38160
			3269	03-01-2024	30720
			3725	19-01-2024	34320
			3726	19-01-2024	17280
4	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार चपरादी	3270	02-01-2024	38400
			3271	02-01-2024	23040
			3712	22-01-2024	32400
			3712	22-01-2024	3600
			3713	22-01-2024	21600
5	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार अस्पलती	3272	02-01-2024	38400
			3273	02-01-2024	19200
			3714	22-01-2024	36000
			3715	22-01-2024	10800
6	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार निचली खुनती	3274	02-01-2024	26880
			3716	22-01-2024	36000
			3717	22-01-2024	10800
			3717	22-01-2024	3600
7	मनरेगा	नि० पशु शेड दिनेश पुत्र रत्ती राम (कोविड 19)	3275	05-01-2024	23040
8	मनरेगा	नि० काऊ शेड सुरेश कुमार पुत्र सूरत सिंह (वर्षा से क्षति)	3718	22-01-2024	31800
			3719	22-01-2024	12720
9	मनरेगा	नि० भूमि सुधार अनंत राम पुत्र नैन सिंह (वर्षा से क्षति)	3720	22-01-2024	15900
10	मनरेगा	नि० भूमि सुधार जगत सिंह पुत्र मोती राम (वर्षा से क्षति)	3276	05-01-2024	34560
11	मनरेगा	नि० भूमि सुधार यशपाल कांडो (वर्षा से क्षति)	3412	05-01-2024	11520
12	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार कुन्दन सिंह पुत्र ध्यान सिंह (वर्षा से क्षति)	3277	05-01-2024	38400
13	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार कुन्दन सिंह पुत्र धनी राम	3721	22-01-2024	21600
			3721	05-03-2024	3600
14	मनरेगा	नि० भूमि सुधार जगदीश पुत्र सूरत सिंह (वर्षा से क्षति)	3278	02-01-2024	30720
15	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार अनिल, राजेश रामकिशन (वर्षा से क्षति)	3279	02-01-2024	23040
			3279	02-01-2024	11520
			3722	22-01-2024	28620
16	मनरेगा	नि० भूमि सुधार निक्का राम पुत्र हुक्मी राम (वर्षा से क्षति)	3723	22-01-2024	31800
			3724	22-01-2024	3180
17	मनरेगा	नि० सुरक्षा दिवार गोपाल सिंह पुत्र जटू राम (वर्षा से क्षति)	3281	06-01-2024	28800
18	मनरेगा	नि० पेयजल भंडार टैंक खुटी	3282	05-01-2024	26880
			3282	05-03-2024	3840
		कुल			**921900**

Tarun Saini
(तरुण सैनी)
कनिष्ठ ... अभियंता
राज... विभाग
अंब...
कैम्प- G.P Badol.